(10)

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJBIL/2000/1717
J. P. C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

चैत्र 10, सोमवार शाके 1925—मार्च 31, 2003
Chaitra 10, Monday, Saka 1925—March 31, 2003

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 31, 2003

संख्या प. 3 (ग) गृहकर/नियम/2003/2851.–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान है एतद्द्वारा राजस्थान राज्य की समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार के भवनों या भूमियों को दिनांक 1-4-2003 से उक्त अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है; अर्थात् :-

1. खाम घर (पूरी तरह से कच्चे मकान);
2. ऐसे समस्त आवासीय भवन जो 50 वर्गगज तक के भूखण्ड पर स्थित हैं और उनमें 450 वर्गफीट से अधिक का तल क्षेत्र नहीं है;
3. ऐसे समस्त सार्वजनिक सम्पतियां जो केवल धार्मिक (पूजा, अर्जना एवं प्रार्थना आदि के) उपयोग में आती है;
4. मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित एवं आवंटित कियोस्क;
5. केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय और सम्पतियां जो व्यावसायिक उपयोग में नहीं आ रही है ;
6. वे भवन एवं भूमि जिन्हें राजस्थान नगरपालिक अधिनियम, 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत पूर्व में राज्य सरकार के किसी विशिष्ट आदेश/अधिसूचना के द्वारा कर से छूट प्रदान की हुई है ।
7. औद्योगिक इकाइयां जो रीको के स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, उन पर कर उदग्रहणीय नहीं होगा, लेकिन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में यदि किसी भूखण्ड पर उद्योग के अतिरिक्त अन्य गतिविधि संचालित की जाती है अथवा उसके किसी भाग में आवासीय या व्यावसायिक या संस्थानिक गतिविधियां चल रही हैं तो उस भूखण्ड/भूखण्ड के भाग पर कर ऐसी गतिविधियों के अनुसार वसूलनीय होगा । ऐसे औद्योगिक इकाइयां जो रीको के स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हैं उन पर आवासीय दर से कर वसूलनीय होगा ।
8. ऐसे पुराने भवन/गृह/हवेलियां जो 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन पर देय कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

जी. के तिवारी,

उप शासन सचिव,

स्वायत्त शासन विभाग,

राजस्थान, जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।